भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2355

सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

रोज़गार का बदलता परिदृश्य

2355. प्रो. सौगत राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विश्वविद्यालय/कॉलेज/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अपने लाखों छात्र/स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को न केवल समायोजित करने में, बल्कि उन्हें सार्थक रोज़गार में प्रभावी रूप से एकीकृत करने में भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे छात्रों के लिए उचित प्लेसमेंट सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच मज़बूत सहयोग के लिए, यदि आवश्यक हो, तो विधिपूर्वक उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का समुचित प्लेसमेंट सुनिश्चित करने हेतु संरचनात्मक सुधार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसमें यह अनिवार्य किया जाएगा कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उद्योग भागीदारों के साथ कम से कम एक औपचारिक साझेदारी करनी होगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शैक्षणिक संस्थान प्लेसमेंट के लिए जवाबदेह हों और जॉब प्लेसमेंट के अनुरूप प्रत्यायन प्रणाली तैयार करें और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं (विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों/स्नातकों सहित) का रोज़गार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 31.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गया है। इसके अलावा, युवाओं (15-29 वर्ष) की अनुमानित बेरोज़गारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

एनसीएस योजना का एक उद्देश्य आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना करना है। मंत्रालय ने देश भर में 407 आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) को मंजूरी दी थी। ये केंद्र स्थानीय युवाओं और अन्य रोजगार चाहने वालों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से तथा करियर परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसरों से जोड़ते हैं। इस प्रकार ये मॉडल करियर केंद्र (एमसीसी) राज्यों और अन्य संस्थानों के सहयोग से आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए रोजगार मेलों के आयोजन, नियोक्ताओं को संगठित करने, स्थानीय स्तर पर करियर परामर्श प्रदान करने आदि के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

दिनांक 14.07.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 6.43 करोड़ से अधिक रिक्तियां (जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) जुटाई गई हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण

संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करना है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की योजनाओं में से वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक कार्यान्वित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के पहले तीन संस्करणों (पीएमकेवीवाई1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) में प्लेसमेंट को ट्रैक किया गया था। इस योजना के पहले तीन चरणों (यानी पीएमकेवीवाई 1.0, 2.0 और 3.0) के दौरान, 24.37 लाख उम्मीदवारों को नियोजित किया गया था। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और वे उसी के लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख हैं। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं। 30.06.2025 तक, पीएमकेवीवाई के तहत देश भर में 1.64 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 1.29 करोड़ उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है।

सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 शुरु की है जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करना है। मध्य और माध्यमिक विद्यालय में कम उम्र में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करके, गुणवत्ता पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में सुचारू रूप से एकीकृत किया जाएगा।

छात्रों की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थान उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी पाठ्यचर्या में सुधार कर रहे हैं। उन्होंने अकादमिक/उद्योग सम्मेलनों, व्यापार शिखर सम्मेलनों और सीईओ द्वारा प्रेरक वार्ता जैसे कार्यक्रमों की मेजबानी करके छात्रों की तैयारी को निखारने, उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने और प्लेसमेंट की सफलता के लिए कई पहलें भी शुरू की हैं। वे विश्व स्तर की कंपनियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने पूर्व छात्रों के व्यापक नेटवर्क का भी लाभ उठाते हैं। छात्रों को उद्योग के अनुभव से लैस करने और प्री-प्लेसमेंट ऑफ़र के अवसरों को बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

*****